न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी मंगलाराम पूनिया आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./14/2023/बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
लुणसिंह पुत्र जुझारसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी पुराना गांव बायतु पनजी तहसील बायतु जिला बाड़मेर	1. दीपसिंह पुत्र जुंझारसिंह 2. जालमसिंह पुत्र जुंझारसिंह 3. पदमो पत्नी जुंझारसिंह जातियान रावणा राजपूत निवासीयान पुराना गांव बायतु पनजी तहसील बायतु जिला बाड़मेर 4. मीना पत्नी हरीप्रसाद 5. मोहबतराम पुत्र गाजीराम जाति मेघवाल निवासी मिठिया तला बायतु पनजी तहसील बायतु जिला बाड़मेर 6. मेघवाल समाज विकास एवं शैक्षणिक शोध स्थान बायतु जरिये अध्यक्ष मोहबतराम 7. शाखा प्रवन्धक ऑरिएन्टल बैंक आफ कामर्स शाखा बायतु 8. राजस्थान, राजय जरिऐ तहसीलदार बायतु

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 91/2021 बअनवान दीपसिंह बनाम जालमसिंह वगैरा में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 03.01.2023 के विरूद्ध पेश हुई।

1. वकील श्री पीराणेखान अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री सुरेशकुमार पूनड़ रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03, 06 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—09.02.2024

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश हुआ। मौजा उतरदातागण संख्या 01 से 06 व अपीलांटस की संयुक्त खातेदारी के अविभाजित खेत मौजा पुराना गांव बायतु पनजी पटवार क्षेत्र बायतु पनजी तहसील बायतु जिला बाड़मेर में खेत खसरा संख्या 1056/828 रकबा 4.4586 हैक्टयर का आया हुआ है। वादग्रस्त भूमि में वादी का 783/6368 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का है तथा इसी अनुरूप हिस्साकस्सी राजस्व रेकर्ड में वादी की खुली हुई एवं इसी हिस्सों के माफिक वादी विवादित भूमि पर काबिज है तथा शेष हिस्सा प्रतिवादीगण

09.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

संख्या 01 से 06 की खातेदारी का है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध प्रक्रिया को अपनाते हुए पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना निर्णय कर डिक्री पारित कर विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार बायतु से तलब करने का आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी एवं तथ्यों की भूल की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि मातहत अदालत में अपीलांट द्वारा दिनांक 20.12.2022 को एक प्रार्थना–पत्र 151 सी पी सी बेचान को अधिमानी अधिकार व हकसफा अधिकार के तहत शून्य व निष्प्रभावी घोषित करवाने व अपीलांट द्वारा अपना नाम प्रतिपादित करवाने की वाद कार्यवाही को स्थगित करने बाबत पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने बहस सुन कर अपीलांट/प्रतिवादी के जबाव दावा का अवसर बन्द करते हुए प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी ऐसी स्थिति में डिक्री निरस्त करने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलांट को अपनी शहादत पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करके पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 व 06 ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो न्यायोचित है। हिस्सों को लेकर अपीलांट द्वारा किसी भी प्रकार का उजर पेश नहीं किया गया। अपीलांटस द्वारा हस्तगत प्रकरण को अनावश्यक लंबा करने की नियत से यह अपील पेश की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आराजी में वर्णित समस्त संयुक्त खातेदारों के हिस्सों को खोलते हुए निर्णय पारित किया गया। अपीलाधीन डिक्री में किसी भी प्रकार की कानूनी कमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व

09.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे। अधिवक्ता रेस्पोडेंटस ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः—Civil Second Appeal no. 159/2008, RRT 2022(1) Page 67, DNJ 2021(4) Page 1157

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष की बहस सुनने के पश्चात पारित की गई। मातहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में पक्षकारों के राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार हिस्सों की घोषणा की गई। अपीलांटस द्वारा अपील में वाद के विचारण में प्रक्रियागत कमियों की तरफ ध्यान ज्यादा दिया गया जबकि हस्तगत अपील में अपीलांट द्वारा हिस्से को लेकर कोई आपति नहीं की गई जबकि अपीलाधीन निर्णय से हिस्से की घोषणा की गई है जिसमें कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पारित की गई। तकनीकी आधार पर वाद में पारित निर्णय को निरस्त किया जाकर वादी/रेस्पोडेंटस को मिले न्याय से वंचित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में किसी भी प्रकार की वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 91/2021 बअनवान दीपसिंह बनाम जालमसिंह वगैरा में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 03.01.2023 को यथावत रखा जाता है।

09.2.24

(मंगलाराम पुनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 09.02.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09.2.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

डिकरी व मुकदमें अपील
(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)
(Civil procedeure Code, Appendix D-1)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी मंगलाराम पूनिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 14 / 2023 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोर्डेटगण
लुणसिंह पुत्र जुझारसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी पुराना गांव बायतु पनजी तहसील बायतु जिला बाड़मेर	1. दीपसिंह पुत्र जुंझारसिंह 2. जालमसिंह पुत्र जुंझारसिंह 3. पदमो पत्नी जुंझारसिंह जातियान रावणा राजपूत निवासीयान पुराना गांव बायतु पनजी तहसील बायतु जिला बाड़मेर 4. मीना पत्नी हरीप्रसाद 5. मोहवतराम पुत्र गाजीराम जाति मेघवाल निवासी मिठिया तला बायतु पनजी तहसील बायतु जिला बाड़मेर 6. मेघवाल समाज विकास एवं शैक्षणिक शोध स्थान बायतु जरिये अध्यक्ष मोहवतराम 7. शाखा प्रबन्धक ऑरिएन्टल बैंक आफ कामर्स शाखा बायतु 8. राजस्थान, राजय जरिऐ तहसीलदार बायतु

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 91 / 2021 बअनवान दीपसिंह बनाम जालमसिंह वगैरा में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 03.01.2023 के विरूद्ध पेश हुई।

मुकदमा नम्बर 14 / 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनिफसाल कतई रू–ब–रू बहाजरी श्री पीराणेखान अधिवक्ता अपीलांट व रेस्पोडेंट के अधिवक्ता श्री सुरेशकुमार पूनड़ उपस्थित मिनजानिब मुद्दई व मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि– अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 91 / 2021 बअनवान दीपसिंह बनाम जालमसिंह वगैरा में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 03.01.2023 को यथावत रखा जाता है। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें। चीज.....................मुबलिक...........................बाबत्.........................खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.......................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख बसूलयाबी तक...............................को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09.02.2024 को जारी की गई।

मुहर

09.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

मुदई	रुपया	पैसे	मुदायलाह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी अपील	00	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	00	00	मेहनताना वकील	00	00
महनताना वकील	00	00	खर्चागवाहान	00	00
खर्चा गवाहान	00	00	फीस कमिश्नर	00	00
फीस कमिश्नर	00	00	ब्बत इजराय हुक्मनामा	00	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00	मुतफरिक	00	00
मुतफरिक(तलबाना)	00	00		00	00
मीजान	00		मिजान	00	

(नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहियें।)

09.2.24

(मंगलाराम पुनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर